राजस्थान–सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ,
2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर

क्रमांकः एफ. 11(2)/नंदघर/मो./आईसीडीएस/2015–16/9636-68 जयपुर, दिनांकः 11.02.18

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषयः– 'नंदघर योजना' के अन्तर्गत दानदाताओं को सम्मानित करने के संबंध में।
प्रसंगः– विभागीय पत्र कमांक 29044–76 दिनांक 22.02.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि विभाग के अन्तर्गत संचालित नन्द घर योजना के तहत गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी आंगनबाडी केन्द्रों के संचालन में सामुदायिक सहभागिता बढाने हेतु जिन दानदाताओं/स्वयं सेवी संस्था/कॉरपोरेट द्वारा आंगनबाडी केन्द्रों को नन्द घर योजनान्तर्गत गोद लिया गया है ऐसे दानदाताओं/स्वयं सेवी संस्था/कॉरपोरेट को प्रोत्साहित करने हेतु अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तर पर 8 मार्च को आयोजित समारोह में प्रशस्ति–पत्र देकर सम्मानित किया जाना है।

नन्द घर योजना के अन्तर्गत सम्मानित किये जाने वाले दानदाताओं/स्वयं सेवी संस्था/कॉरपोरेट को उक्त योजनान्तर्गत दिये जाने वाले प्रशस्ति पत्र का प्रारूप (पत्र कमांक 29044–76 दिनांक 22.02.2017) विभागीय बेवसाइट पर उपलब्ध है।

इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप जिला स्तर पर आयोजित होने वाले समारोह में उत्कृष्ट दानदाताओं/स्वयं सेवी संस्था/कॉरपोरेट का अपने स्तर पर समयबद्ध चयन कर प्रशस्ति–पत्र प्रदान करते हुए सम्मानित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करावें।

आयुक्त
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ. 11(2)/नंदघर/मो./आईसीडीएस/2015–16/9669-9.. जयपुर, दिनांकः 11.1.18

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदया (स्वतन्त्र प्रभार), महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर को सूचनार्थ।
3. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी को पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक अग्रिम कार्यवाही कर प्रशस्ति–पत्र वितरण की प्रकिया को समय पर पूर्ण करावें।
4. ए.सी.पी मुख्यालय को विभागीय बेबसाइट पर अपलोड हेतु।

अति निदेशक (आई.)
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर

C:\Users\hcl\Desktop\Desktop fd\Letter 2015.docx